न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – २२ / 2023

उनवान

सावित्री देवी पत्नी कान्ति प्रसाद जाति माहेश्वरी निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद

––– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद

–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 13.5.24

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प. म. बैवंजा के खसरा नम्बर 1448/0.34, 1449/0.21, 1450/0.28, 1451/0.12, 1452/0.05, 1453/0.20 की आराजी प्रार्थी की सह खातेदारी की है। आवेदनकर्ता अपनी उपरोक्त आराजी में मुख्य रास्ता से होकर हाल खसरा नम्बर 1455 सिवायचक में से आवागमन करते है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त आराजी पर आवागमन हेतु 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम व प. म. बैवंजा के खसरा नम्बर 1448/0.34, 1449/0.21, 1450/0.28, 1451/0.12, 1452/0.05, 1453/0.20 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 1455 रकबा 1.36 सिवायचक है। खसरा नम्बर 1404 रकबा 0.75 गै0म0 सडक है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1455 मे सरकार द्वारा [illegible] जिसका न0 एम एल 93/2009 की लीज पर दिया है तथा खनन कार्य जारी [illegible] प्रार्थी [illegible] आवागमन हेतु अन्य मार्ग की जॉच में पाया गया कि ग्राम बैवन्जा [illegible] 2373 खसरा नम्बर 1455 के लगायत एवं नसीराबाद – रामसर रोड से लगता हुआ [illegible] प्रार्थी का 1/2 हिस्सा [illegible]हित है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1455/2373 में से आवागमन कर [illegible]कती है। अतः प्रार्थी को [illegible] दिया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:23:05 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उचित नही बताया गया है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु वर्तमान में कोई लघुतम/दीर्घतम रास्ता उपलब्ध नही है। पत्रावली में प्राप्त रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1455/2373 का अंकन है जबकि जमाबंदी व राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 1455/2973 अंकित है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1455/2973 में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर मुख्य मार्ग रामसर रोड से लगता हुआ है। तथा प्रार्थी अपनी अन्य एकल खातेदारी खसरा नम्बर 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453 में से आवगमन कर सकता है। प्रकरण में प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण नवीन मार्ग दिये जाने का कोई औचित्य नही है। प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट में कोई आपत्ति पेश नही की है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिर्पोट अनुसार प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:23:05 IST
Reason: SelfAttested